न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—416 / 2016 / 223 (2016 / 00416)

1. अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड सावर जरिये इसके सहायक अभियंता, अजमेर विद्युत निगम लिमि0 सांवर, तहसील केकडी, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. राजेन्द्र अग्रवाल प्रोपराईटर राजेन्द्र मार्बल, नि0 सावर, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।
2. चोलाराम चौधरी प्रोपराईटर मैसर्स राणा मार्बल, नि0 सांवर, तह0केकड़ी जिला अजमेर ।
3. सत्यप्रकाश कुमावत पुत्र मोहनलाल कुमावत, नि0 सांवर, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 12.7.2016 एव संशोधित आदेश दिनांक 26.7.2016 एवं संशोधित आज्ञाप्ति दिनांक 10.8.2016 अंतर्गत वाद संख्या 94 / 2004.

उपस्थितः—

1. श्री ए0के0माथुर, वकील अपीलांट ।
2. श्री प्रदीप विश्नोई, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. श्री विकास पाराशर, वकील रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः—3.4.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.7.2016 एवं संशोधित आदेश दिनांक 26.7.2016 एवं संशोधित आज्ञाप्ति दिनांक 10.8.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 में एक वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया गया कि अपीलांट के खसरा संख्या 1946 व 1956 पर बने हुए सब स्टेशन सावर में प्रत्यर्थीगण किसी प्रकार का कोई भी दखलअंदाजी नहीं करे और न ही जबरन कब्जा करे और न ही अपीलांट द्वारा फेन्सिग के स्थान पर बनाई जा रही दीवार में कोई बाधा पहुंचाये । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 12.7.2016 को पारित कर आराजी खसरा नंबर 1946 व 1953 बाबत् प्रतिवादीगण को पाबंद किया कि वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा वादी को भी पाबदं किया जाता है कि खसरा नंबर 1946 गै0मु0आबादी में पूर्व से पश्चिम में मौके पर बने आम रास्ते पर किसी प्रकार का दखल दीवान बनाकर आने

जाने के रास्ते को अवरूद्ध नहीं करे । इसके उपरांत अधी0न्याया0 ने संशोधित आदेश दिनांक 26.7.2016 को पारित कर पूर्व निर्णय व डिक्री में यह संशोधन किया कि पश्चिमी और रास्ता उत्तर से दक्षिण में वादी को पाबंद किया जाता है कि मौके पर बने आम रास्ते पर किसी प्रकार का दीवान बनाकर आने जाने के रासते को अवरूद्ध नहीं करे । तत्पश्चात् अधी0न्याया0 ने उक्त संशोधित आदेश की परिप्रेक्ष्य में दिनांक 10.8.2016 को संशोधित डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री तथा संशोधित आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 ने जहां तक अपीलांट को पाबंद किया है उस सीमा तक अधी0न्याया0 का आदेश पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के कारण अपास्त योग्य है । बहस में आगे कथन किया कि प्रत्यर्थीगण ने अपने परिवाद में किसी प्रकार का कोई भी प्रतिदावा वादी/अपीलांट के विरूद्ध प्रस्तुत नहीं किया था और न ही किसी प्रकार की कोई स्थायी निषेधाज्ञा मांगी गई थी तथा न ही इस संबंध में कोई अभिकथन ही किया गया था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने वादी/अपीलांट को पाबंद करने में त्रुटि कारित की है । न्याया0 पक्षकारों के अभिवचनों से बाहर जाकर अनुतोष प्रदान नहीं कर सकता है। अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 2 अपीलांट के विरूद्ध निर्णित करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 के समक्ष ऐसा कोई अभिवचन, अभिलेख उपलब्ध नहीं था कि अपीलांट उन्हें आवंटित भूमि से बाहर जाकर किसी प्रकार का निर्माण कार्य कर रहे है । तनकी संख्या 2 को निर्णित करते समय अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखा कि प्रत्यर्थी ने अपने कथन को साबित करने के लिये न तो माईन्स की लीजडीड पेश की और न ही नक्शा पेश किया है । अधी0न्याया0 ने केवल मात्र कल्पनाओं के आधार पर प्रत्यर्थी के आने जाने वाला रास्ता मान लिया जबकि ऐसा कोई भी रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं था । बहस में आगे कथन किया कि प्रत्यर्थी राजेन्द्र कुमार ने स्वंय ने यह स्वीकार किया है कि प्रश्नगत निगम की जमीन पर चारो तरफ लोहे के तारों की बाउण्ड्री बनी हुई है जब चारो तरफ तारों की बाउण्ड्रीवाल बनी है तो इसमें से आने जाने का तो कोई प्रश्न हीं नहीं उठता है । पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं था जिससे यह सिद्ध हो कि अपीलांट की आराजी में से कोई रास्ता जा रहा हो । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तत्पश्चात् संशोधित आदेश व डिक्री पारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलांट के हकों के विरूद्ध पारित निर्णय को उस हद तक निरस्त किया जावे ।

5. जवाब में विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने कथन किया कि वादी/अपीलांट द्वारा अपनी आराजियात की सीमा से अधिक भूमि पर निर्माण कराया जा रहा था जिससे रेस्पो0 की आराजी में आने जाने का रास्ता बंद हो रहा है । रेस्पो0 द्वारा वादी की आराजियात में रास्ता न होकर अन्य भूमि पर है जो आम रास्ता के रूप में काफी समय से प्रचलित है । अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 ने वाद को निर्णित करने हेतु

तीन तनकियात कायम की है । अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 1 के निष्कर्ष में यह माना है कि वादी/अपीलांट खसरा नंबर 1946 व 1953 अजमेर विद्युत निगम का है जिसकी पुष्टि विक्रय पत्र प्रदर्श–3 से होती है । दस्तावेजी साक्ष्यों से अपीलांट की जमीन का नाप पूर्व में 600 फुट, पश्चिम में 650 फुट, उत्तर में 500 फुट तथा दक्षिण में 500 फुट है । हम अधी0न्याया0 के इस निष्कर्ष से पूर्णतया सहमत है कि वादी/अपीलांट विक्रय पत्र में दर्शायी गई सीमाओं की हद में प्रतिवादीगण द्वारा दखलदांजी किये जाने पर प्रतिवादीगण को पाबंद कराने का हक रखता है । तनकी संख्या 2 के संबंध में प्रदर्श डी–3 मौका रिपोर्ट एवं प्रदर्श–1 के अनुसार भी मौके पर आम रास्ता होना जाहिर हुआ है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारार खसरा नंबर 1946 गै0मु0आबादी में पूर्व से पश्चिम मौके पर बने आम रास्ते पर किसी प्रकार का दखल दीवार बनाकर आने–जाने हेतु रास्ते को अवरूद्ध नहीं करे, के संबंध में प्रदर्श–1 मौका नक्शा के अनुसार आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत् प्रतीत होता है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट को अपनी सीमाओं के बाहर जाकर निर्माण कार्य नहीं करने हेतु पाबंद किया है । अधी0न्याया0 के इस निर्णय में हमें कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण कर विधिसम्मत् रूप से निर्णय पारित किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं होती है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पाये जाते है ।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.7.2016 एवं संशोधित आदेश दिनांक 26.7.2016 एवं संशोधित आज्ञाप्ति दिनांक 10.8.2016 यथावत् रखे जाते है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 3.4.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर